विहार विधान-सभा वादवृत।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण। सभा के अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २५ मार्च, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

विगत अधिवेशन के बचे हुये अतारांकित प्रश्नों के संबंध में सूचना।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—मैं गत अधिवेशन के १६३ प्रश्नों में से ५२ प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूं। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर समय-समय पर सचिवालय के विभागों से उपलब्ध होने पर रखे जायँगे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर।

UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS.

संथाल परगना के अफसरों को भत्ता।

१५८। श्री जेठा किस्कू—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) संथाल परगना के किन २ मजिस्ट्रेटों को कितना २ वेतन और भत्ता मिला है;
(ख) १९५२ साल में प्रत्येक को कितना वेतन और भत्ता मिला ?

डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) एक विवरण मेज पर रखा है। प्रत्येक मजिस्ट्रेट हर महीने जो यात्रा भत्ता लेता है वह नियत नहीं है। वह तो उसके दौरा पर निर्भर करता है।

(ख) एक विवरण पुस्तकालय को मेज पर रखा है।

अधिक पैसा का लिया जाना।

१५९। श्री रामानन्द तिवारी—क्या मुख्य मंत्री, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि नाथनगर सी० टी० एस० में सिपाहियों के साथ खाने तथा और और सामान खरीदने में ठीकेदार अधिक पैसा लेता है;

(ख) क्या यह बात सही है कि वहां के सिपाहियों ने कई बार उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया, जिसके चलते भागलपुर के डी० आइ०-जी० जांच में गये थे;

(ग) क्या यह बात सही है कि डी०-आई० जी० ने उन आरोपों को सही पाया और सिपाहियों को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ने इस पर कौन सी कार्रवाई की जिससे सिपाहियों को राहत मिले ?

डा० श्रीकृष्ण सिंह—(क) सी० टी० एस० के रंगरूटों के मेस की वर्तमान प्रणाली के अनुसार ठीकेदार जो खाद्य पदार्थ और अन्य सामग्रियां देता है उनके लिए अधिक कीमत नहीं ले सकता। ठीकेदार महीना भर चावल, दाल आटा, चना तेल तथा कुछ अन्य वस्तु उधार देता है पर शर्त यह रहती है कि अगले महीने के पहले हफ्ते में पूरी कीमत चुका दी जाएगी। सब्जी तथा कुछ अन्य वस्तुएं, जिन्हें रोज खरीदना पड़ता

सर्किल अफ़सर की बहाली।

१८१। श्री पुनीत राय—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) पुराने जमींदारों के व्यवस्थापकों में से कितने लोगों को अभी तक सरकार ने सर्किल अफसरों की जगह पर नियुक्त किया है ;

(ख) वे अफसर अभी कहां-कहां काम करते हैं ;

(ग) इन लोगों की व्यक्तिगत योग्यता एवं जमींदारी अनुभव क्या है ;

(घ) जब वे जमींदारी में थे, उस समय उनको क्या वेतन मिलता था एवं अभी सरकार ने किनको कितने वेतन पर नियुक्त किया है ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क), (ख), (ग) और (घ) सदस्य का ध्यान, उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न क-२६, १९५३, में दिये गये उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्ज के लिये आवेदन-पत्र।

१८२। श्री राधा पांडे—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) १९५१ से १९५३ ई० तक रक्सौल तथा आदापुर थाने (चम्पारण) में कृषि के वास्ते ऋण के लिये सरकार के पास कितनी दरखास्तें आई तथा किन-किन लोगों ने दी थीं ;

(ख) उनमें से कितने और किन-किन लोगों को ऋण दिया गया ;

(ग) कितने और किन-किन लोगों को ऋण नहीं दिया गया, यदि नहीं दिया गया, तो क्यों ?

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—(क), (ख) और (ग) तीन विवरण, जैसे कि १, २ और ३ परिशिष्टों में हैं, अपेक्षित सूचनाओं के साथ पुस्तकालय के मेज पर रखे हैं।

SETTLEMENT OF LANDS.

188. **Shri HARIPADA SINGH :** Will the Minister, in charge of Revenue Department, be pleased to state the names of persons who have taken settlement of village lands (cultivable and uncultivable), buildings, houses, tanks, hats, etc., with their location after the Land Reforms Act came into force ?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY : Government do not have any such list. The time and labour involved in compilation of such a list will not be commensurate with the value of the result achieved.

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की क्षति का आंकड़ा।

१९४। श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा—क्या मंत्री, राजस्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने दरभंगा जिले के बारिसनगर थाने के बाढ़ पीड़ित-क्षेत्रों की क्षति का कोई आंकड़ा तैयार कराया है ;